



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23102026-277382
CG-MH-E-23102026-277382

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5546]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2026/कार्तिक 1, 1948

No. 5546]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2026/KARTIKA 1, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 19 अक्टूबर, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 37A के तहत

का.आ. 5763(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) खंड 2 की धारा 37A के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, मध्य रेलवे के अंतर्गत लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर आरओबी और एलएचएस (संख्या-8) के प्रस्तावित निर्माण निर्माण की सूची नीचे दी गई है :-

1. पुणे-मिरज खंड पर घोरपडी - सासवड रोड (GPR-SSV) के बीच कि.मी. 5/0-1 पर समपार फाटक (LC) संख्या 4 के बदले आरयूबी (RUB) सहित आरओबी (ROB) का प्रस्तावित निर्माण ।
2. पुणे मंडल के दौंड-मनमाड खंड पर कि.मी. 360/1-2 पर समपार फाटक (LC) संख्या 30 के बदले आरओबी (ROB) का निर्माण ।

3. पुणे मंडल के दौंड-मनमाड खंड पर कि.मी. 474/9-10 पर समपार फाटक (LC) संख्या 74 के बदले आरओबी (ROB) का निर्माण ।
4. पुणे मंडल के पुणे -मिरज खंड पर कि.मी. 202/7-8 पर समपार फाटक (LC) संख्या 100 के बदले आरओबी (ROB) का निर्माण ।
5. पुणे मंडल के दौंड-मनमाड खंड पर कि.मी. 479/0-1 पर समपार फाटक (LC) संख्या 77 के बदले आरओबी (ROB) का निर्माण ।
6. पुणे मंडल के मिरज-कोल्हापुर खंड पर कि.मी. 12/1-2 पर समपार फाटक (LC) संख्या 5 के बदले आरओबी (ROB) का निर्माण ।
7. पुणे मंडल के पुणे-मिरज (PA-MRJ) खंड पर कि.मी. 243/1-2 पर समपार फाटक (LC) संख्या 114 के बदले आरओबी (ROB) का निर्माण ।
8. पुणे मंडल के दौंड-मनमाड खंड पर कि.मी. 478/0-1 पर समपार फाटक (LC) संख्या 76 के बदले आरओबी (ROB) का निर्माण ।

के कार्य को, महाराष्ट्र राज्य के पुणे मंडल में लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय अवसंरचना उपलब्ध कराने तथा रेलवे परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण करने के लिए “विशेष रेलवे परियोजना” के रूप में अधिसूचित करती है ।

[फा. सं. G197/ROBs&LHS/RSP/LC 4,30,74,100,77,5,114&76/PA/37A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

Mumbai, the 19th October, 2026

Under clause 37A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 5763(E).— In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of The Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the “Proposed construction of ROB and LHS in lieu of (08 Nos.) in lieu of the following Level Crossing (LCs): -

- (i) Construction of ROB & RUB in lieu of Level Crossing No. 4 at Km 5/0-1 between Ghorpadi-Saswad Road (GPR-SSV) on Pune-Miraj section.
- (ii) Construction of ROB in lieu of Level Crossing No. 30 at Km 360/1-2 on Daund-Manmad section.
- (iii) Construction of ROB in lieu of Level Crossing No. 74 at Km 474/9-10 on Daund-Manmad section.
- (iv) Construction of ROB in lieu of Level Crossing No. 100 at Km 202/7-8 on Pune-Miraj section.
- (v) Construction of ROB in lieu of Level Crossing No. 77 at Km 479/0-1 on Daund-Manmad section.
- (vi) Construction of ROB in lieu of Level Crossing No. 5 at Km 12/1-2 on Miraj-Kolhapur section.
- (vii) Construction of ROB in lieu of Level Crossing No. 114 at Km 243/1-2 on Pune-Miraj (PA-MRJ) section.

(viii) Construction of ROB in lieu of Level Crossing No. 76 at Km 478/0-1 on Daund-Manmad section.

As Railway Project under Central Railway and as “**Special Railway Project**” for acquisition of land in **Pune Division** in the State of Maharashtra, for providing national infrastructure for a public purpose, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. G197/ROBs&LHS/RSP/LC 4,30,74,100,77,5,114&76/PA/37A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)